मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–3 / 2004 / एक / 3 भोपाल, दिनांक 01.11.2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
म ध्य प्र दे श ।

विषयः–दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों / श्रमिकों / कर्मियों के सिविल सेवाओं / पदों में नियमितिकरण के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ।

––00––

उपरोक्त विषय में न्याय दृष्टांत सिविल अपील क्रमांक 3492 / 1996 हिमाचल राज्य विरूद्ध सुरेश कुमार वर्मा, (1996 S.O.L.Case No. 040) की प्रति संलग्न है । इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्ति किसी पद पर नियुक्ति के समान नहीं है । अतः उन्हें नियमितिकरण की पात्रता नहीं है, क्योंकि नियमित पदों पर नियुक्ति संविधान के प्रावधानों एवं भरती नियमों के अंतर्गत उपबंधित चयन प्रक्रिया अपनाकर की जाती है । यदि दैनिक भोगी की नियुक्ति को उक्त प्रक्रिया अपनाए बिना नियमित किया जाएगा तो यह पिछले दरवाजे से की गई नियुक्ति के समान होगी ।

2. कृपया सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त मत को, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में दायर विभिन्न प्रकरणों, वादों एवं याचिकाओं में राज्य शासन के प्रभावी प्रतिरक्षक हेतु उपयोग में लाया जाए, ताकि राज्य का हित संरक्षित हो और शासन का पक्ष मजबूत हो ।

कृपया इन निर्देशों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

हस्ताक्षर
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5—3 / 2004 / एक / 3 भोपाल, दिनांक 01.11.2004

प्रतिलिपिः—

1. रजिस्ट्र ार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर ।
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर ।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल ।
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म.प्र. भोपाल ।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल ।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल ।
12. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाअधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,इन्दौर ग्वालियर ।
13. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर, म.प्र. ।
14. प्रमुख सचिव, / सचिव / अतिरिक्त सचिव / उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
15. उपसचिव, / अवर सचिव,स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल ।
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय भोपाल ।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल ।
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्य प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

हस्ताक्षर

(एम. के. वर्मा)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग